J.V. JAIN COLLEGE, SAHARANPUR

(NAAC Accredited, College With Potential for Excellence)

Estd. 1955

Ph. No. – 09456004915

पत्रांक :– का0अ0 / आदेश / 945 / 2023–24

दिनांक :– 22.12.2023

आदेश

महाविद्यालय में एलएल0बी0 तृतीय वर्ष (पंचम सेमेस्टर) में अध्ययनरत् छात्रा कु0 दिव्या गुप्ता पुत्री श्री अनिल गुप्ता द्वारा दिनांक 06/12/2023 को लिखित प्रार्थना–पत्र देकर अवगत कराया कि जब वह दिनांक 05/12/2023 को जे0वी0 जैन कालिज, सहारनपुर में प्रवेश लेने के लिए आई तो वहाँ पर एक छात्र ने उसके साथ बदतमीजी की एवं उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया और वह उस छात्र को जानती भी नहीं थी। उसने अन्य छात्र/छात्राओं से पूछा तो पता चला कि उक्त छात्र का नाम अनुज चौहान है। छात्रा कु0 दिव्या गुप्ता के द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि जब मैनें उक्त छात्र से इस बदतमीजी की शिकायत प्राचार्य से करने के लिए कही तो उसने धमकी देते हुए यह कहा कि अभी दो साल यहीं रहना है तो मैं तुम्हें देख लूगाँ और कालिज आने नहीं दूगाँ। छात्रा के द्वारा अधोहस्ताक्षरी से उक्त छात्र अनुज चौहान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।

अधोहस्ताक्षरी के निर्देश पर महाविद्यालय के चीफ प्रोक्टर प्रो0 संदीप गुप्ता ने पत्र दिनांक 12/12/2023 द्वारा छात्रा कु0 दिव्या गुप्ता के प्रार्थना–पत्र पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु छात्र अनुज चौहान को दिनांक 18/12/2023, प्रातः 11:30 बजे तक का समय प्रदान किया गया।

उक्त छात्र अनुज चौहान द्वारा दिनांक 18/12/2023 को एक पत्र चीफ प्रोक्टर को सम्बोधित करते हुए छात्रा द्वारा प्रस्तुत उक्त शिकायती–पत्र पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करते हुए अनर्गल एवं निरर्थक कथन अपने पत्र में उल्लिखित करते हुए मुख्य अनुशासक का ध्यान छात्रा के साथ की गई अभद्रता से भटकाने का प्रयास किया गया। उक्त छात्र अनुज चौहान पुत्र श्री हरवीर सिंह चौहान महाविद्यालय में एम0ए0 (राजनीति शास्त्र) प्रथम वर्ष सत्र 2023–24 का छात्र है। उक्त छात्र को अपने द्वारा की गई अनुशासनहीनता एवं अभद्र व्यवहार पर किंचित भी खेद नहीं है।

तत्पश्चात् दिनांक 20/12/2023 को मुख्य अनुशासक प्रो0 संदीप गुप्ता द्वारा छात्र अनुज चौहान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर कु0 दिव्या गुप्ता का कथन चाहा गया, जिस पर छात्रा कु0 दिव्या गुप्ता द्वारा दिनांक 20/12/2023 को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि अनुज चौहान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में जो कहा गया है, वह सब झूठा है। विशेषकर उक्त छात्रा कु0 दिव्या गुप्ता ने उक्त अभद्रता की घटना आगे भी होने की सम्भावना व्यक्त की गई है और आरोपी छात्र अनुज चौहान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का निवेदन किया गया है।

महाविद्यालय के मुख्य अनुशासक प्रो0 संदीप गुप्ता द्वारा दिनांक 20/12/2023 को इस प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। छात्रा के साथ हुई इस अभद्रता एवं बदतमीजी की घटना को सामान्य नहीं लिया जा सकता है एवं छात्राओं की सुरक्षा एवं हितों के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी का यह

Offg. Principal
J.V. Jain College
Saharanpur
22/12/2023

क्रमशः.........2

नैतिक दायित्व बन जाता है कि इस प्रकरण में जांचोपरान्त् नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित की जाये।

एतद्द्वारा छात्र अनुज चौहान, पुत्र श्री हरवीर सिंह चौहान, प्रवेश सं0 17, एम0ए0 (राजनीति शास्त्र) प्रथम वर्ष शैक्षणिक सत्र 2023–24 को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक महाविद्यालय से निलम्बित किया जाता है। उक्त प्रकरण की जांच हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक जांच समिति का गठन किया जाता है, जिसके सदस्य निम्नवत् है –

1. प्रो0 संदीप गुप्ता, चीफ प्रोक्टर – संयोजक, जांच समिति
2. प्रो0 परविन्द कुमार, अध्यक्ष, राजनीति शास्त्र – सदस्य, जांच समिति
3. डॉ0 हरवीर सिंह चौधरी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता – सदस्य, जांच समिति

उपरोक्त गठित जांच समिति से अनुरोध है कि वह प्रकरण की गम्भीरता से जांच करते हुए विस्तृत जांच आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि उपरोक्त प्रकरण में उचित निर्णय लिया जा सके।

निलम्बन अवधि के दौरान छात्र अनुज चौहान का महाविद्यालय में प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा, वह केवल जांच समिति द्वारा बुलाये जाने पर ही महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। इसका उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(प्रो0 हरि ओम गुप्ता)
का0 प्राचार्य
Offg. Principal
J.V. Jain College
Saharanpur
9/12/2023

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित :–

1. अनुज चौहान, पुत्र श्री श्री हरवीर सिंह चौहान, निकट मौहयाल भवन, हकीकत नगर, पंजाबी बाग, **सहारनुपर : 247001, मो0 नं0 – 8979664068 (कक्षा – एम0ए0 राजनीति शास्त्र प्रथम वर्ष, प्रवेश सं0 – 17)**
2. कुलसचिव, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
3. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
5. प्रभारी निरीक्षक, थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
6. प्रो0 संदीप गुप्ता, चीफ प्रोक्टर, जे0वी0 जैन कालिज, सहारनपुर।
7. प्रो0 परविन्द कुमार, अध्यक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग, जे0वी0 जैन कालिज, सहारनपुर।
8. डॉ0 हरवीर सिंह चौधरी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता, जे0वी0 जैन कालिज, सहारनपुर।
9. महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के ऑफिशियल व्हाट्स–एप ग्रुप पर।
10. डॉ0 प्रदीप कुमार जैन, का0 कार्यालय अधीक्षक को समस्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
11. मिस प्राची जैन, स्टैनो, जे0वी0 जैन कालिज, सहारनपुर – महाविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।